8

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल–66/2024– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० त्रिलोचना कुमार, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास के दिनांक–09.10.2023 से 14.05.2024 तक उपार्जित एवं मातृत्व अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम–230 तथा वित्त विभागीय पत्राक–9889, दिनांक–01 12 2015 के आलोक मे निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है –

(i) दिनांक–09 10.2023 से 31.10 2023 तक – कुल–23 (तेईस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।

(ii) दिनांक–01.11 2023 से 28.04.2024 तक – कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिन मातृत्व अवकाश के रूप में।

(iii) दिनांक–29.04.2024 से 14.05.2024 तक – कुल–16 (सोलह) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल–66/2024-- 9562) पटना, दिनांक 7/5/2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास/डा० त्रिलोचना कुमार, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/5/26
सरकार के उप सचिव।
2

Des 2>Gau> adesh24>Vikas 26